

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म.प्र.)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 41 / 2012
संस्थान दिनांक 06.12.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

बबलू उर्फ बबन पिता मनोहर,
आयु 30 वर्ष, निवासी-ग्राम रणगौव,
थाना ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 02 / 01 / 2015 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 14 / 2012 के आधार पर भा.द.स. की धारा 304-ए का अपराध इस आधार पर विचारणीय है कि उसने दिनांक 13.01.2012 को लगभग 17:00 बजे, ग्राम मण्डवाड़ा में नाग मंदिर के पास वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रूप से चलाकर मुकेश पिता नरसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। द.प्र.स. की धारा 294 के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता ने मृतक मुकेश का शव परीक्षण स्वीकार किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रदर्शपी 15 डाला गया। इस प्रकार मुकेश की मृत्यु होना भी स्वीकृत है।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 13.01.2012 को फरियादी भोलुराम, जगदीश तथा मुकेश बड़वानी से नई हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल क्रय कर बड़वानी से पिपल्या डेब जा रहे थे, रास्ते में मण्डवाड़ा नाग मंदिर के पास मोटरसाईकिल खड़ी कर मंदिर में पूजा करने के लिए नारियल लिया तथा महादेव मंदिर में गया था। फरियादी भोलुराम एवं मुकेश मोटरसाईकिल के पास खड़े थे कि आयशर वाहन को उसका चालक मण्डवाड़ा की ओर से तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व गलत दिशा से मुकेश को तथा मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे

मोटरसाईकिल व मुकेश गिर गये तथा आयशर पलटी खा गई थी। मुकेश को सिर, चेहरे व शरीर पर चोटें आकर रक्त निकल रहा था। आयशर का चालक आयशर को छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने फरियादी भोलुराम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/2012 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी भोलुराम की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 7 बनाया, पुलिस ने फरियादी भोलुराम की निशांदाही से वाहन हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल पेशन प्रो का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 8 बनाया, पुलिस ने मृतक मुकेश की लाश का पंचायतनामा बनाने हेतु साक्षियों को प्रदर्शपी 11 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 12 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षियों के अभियुक्त बबन से वाहन आयशर वाहन क्रमांक एम. पी. 46 जी. 0012 के दस्तावेजों के तथा अभियुक्त बबन की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 10 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा साक्षियों के समक्ष घटनास्थल से वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 को जप्त कर प्रदर्शपी 13 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त बबन को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 14 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने फरियादी भोलुराम व साक्षीगण महादेव, मुकेश, सुनिल, विष्णु, सीताराम, राकेश, सरीताबाई, महेश व गजानंद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा चिकित्सा के दौरान मुकेश की मृत्यु हो जाने से संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 304—ए भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त बबलू उर्फ बबन के विरुद्ध धारा 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.01.2012 को लगभग 17:00 बजे, ग्राम मण्डवाड़ा में नाग मंदिर के पास वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रूप से चलाकर मुकेश पिता नरसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में महादेव (अ.सा.1), विष्णु पाटीदार (अ.सा.2), सीताराम (अ.सा.3), सुनिल (अ.सा.4), कृष्ण कुमार (अ.सा.5), भोलुराम (अ.सा.6), जसवंत (अ.सा.7), डॉ. महेश अग्रवाल (अ.सा.8), सहायक उपनिरीक्षक पहवालनसिंह (अ.सा.9), प्रधान आरक्षक जगदीश कलमे (अ.सा.10) एवं सहायक उपनिरीक्षक रूखडूसिंह मण्डलोई (अ.सा.11) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में भोलुराम (अ.सा.6) का कथन है कि वह मृतक मुकेश को जाना है। घटना ढाई वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह, महादेव तथा मुकेश नई मोटरसाईकिल से बड़वानी से पिपल्या डेब जा रहे थे, रास्ते में मण्डवाड़ा के पास भीलट मंदिर के सामने मोटरसाईकिल खड़ी कर मंदिर में पूजा करने के लिए गये थे, महादेव मंदिर के अंदर गया था तथा वह और मुकेश मंदिर के बाहर थे। ठीकरी की ओर से एक आयशर वाहन को उसका चालक तेज गति से चलाकर लाया तथा मुकेश व उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। उसने घटना कारित करने वाली आयशर वाहन का क्रमांक नहीं देखा था तथा उसने चालक को भी नहीं देख था। आयशर चालक वाहन को छोड़कर भाग गया था। वह तथा महादेव मुकेश को महामृत्युंजय अस्पताल बड़वानी लेकर गये, जहाँ चिकित्सा के दौरान मुकेश की मृत्यु हो गई। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड़ पर की थी जो प्रदर्शपी 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने प्रदर्शपी 7 का घटनास्थल बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 8 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 6 की रिपोर्ट लिखाते समय आयशर वाहन का क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 बताया था और अपने पुलिस कथन में भी आयशर का क्रमांक बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे प्रदर्शपी 6 की रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी और उसने उक्त रिपोर्ट में आयशर वाहन का क्रमांक नहीं बताया था तथा उसने आयशर चालक को भी नहीं देखा था।

8. महादेव अ.सा.1 ने भी भोलुराम अ.सा.6 के कथनों का समर्थन करते हुए घटना के समय मृतक मुकेश व भोलुराम के साथ नई मोटरसाईकिल से पिपल्या डेब जाने और मंदिर में पूजा करने के लिए रुकने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि मुकेश मोटरसाईकिल के पास खड़ा था, तब एक आयशर वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। आयशर वाहन का चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। साक्षी का कथन है कि उसने वाहन चालक को नहीं देखा था और देखकर भी नहीं पहचान सकता हैं मुकेश को चिकित्सा के लिए बड़वानी अस्पताल लेकर गये जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आयशर वाहन के चालक को उसने नहीं देखा था।

9. विष्णु पाटीदार अ.सा. 2, सीताराम अ.सा. 3, सुनिल अ.सा. 4 ने भी भीलट बाबा मंदिर के पास 2 वर्ष पूर्व आयशर वाहन से दुर्घटना होने की तथा उसमें एक व्यक्ति को चोंट लगने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त तीनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित करके सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्होंने पुलिस को आयशर वाहन का क्रमांक अपने पुलिस कथन में बताया था। सुनिल अ.सा. 4 ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि भोलुराम ने उसे दुर्घटना की सूचना दी थी, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि भोलुराम ने उसे आयशर का क्रमांक बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त सभी साक्षियों ने स्वीकार किया कि उनके सामने कोई घटना नहीं हुई थी और उन्होंने वाहन चालक को भी नहीं देखा था।

10. कृष्ण कुमार अ.सा.5 ने दिनांक 30.01.2012 को थाना अंजड़ में जप्त वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी 0012 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसे सही अवस्था में होना पाया था। तथा उसने यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 5 भी प्रमाणित किया है। यशवंत अ.सा.7 ने केवल प्रदर्शपी 10 के पंचनामें के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 के दस्तावेज और अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति उसके सामने जप्त की थी।

11. डॉ. महेश अग्रवाल अ.सा. 8 ने दिनांक 13.01.12 को मृहामृत्युंजय अस्पताल में मुकेश पिता नरसिंह को दुर्घटना में चोटें आने पर शाम 6:30 बजे ईलाज हेतु लाने पर और उसकी सूचना पुलिस थाना बड़वानी पर प्रदर्शपी 11 के माध्यम से देने के संबंध में कथन किये हैं।

12. पहलवानसिंह अ.सा.9 ने दिनांक 22.01.12 को थाना बाणगगा में अरविन्दो अस्पताल इन्दौर से मुकेश पिता नरसिंह यादव, निवासी तलवाड़ा डेब की दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर प्रदर्शपी 10 का मार्ग दर्ज करने, मृतक मुकेश की लाश का सफीना फार्म प्रदर्शपी 11 का बनाने और पंचायतनामा प्रदर्शपी 12 का बनाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 10, 11 एवं 12 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं तथा साक्षी गजानंद यादव के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में साक्ष्य दी है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गजानंद ने उसे वाहन चालक का नाम नहीं बताया था।

13. जगदीश कलमे अ.सा.10 ने दिनांक 13.01.2012 को भोलुराम की रिपोर्ट के आधार पर आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 के चालक के विरुद्ध प्रदर्शपी 6 का अपराध दर्ज करने और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे फरियादी ने वाहन चालक का नाम नहीं बताया था।

14. सहायक उपनिरीक्षक रूखडूसिंह मण्डलोई अ.सा.11 ने दिनांक 13.01.12 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 14 / 12 की विवेचना के दौरान प्रदर्शपी 7 का नक्शामौका पंचनामा बनाने, फरियादी भोलुराम व साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने, हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल पेशन प्रो का नुसकानी पंचनामा प्रदर्शपी 8 का बनाने, आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 को घटनास्थल से प्रदर्शपी 13 के अनुसार जप्त करने, अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञापित प्रदर्शपी 10 के अनुसार जप्त करने तथा मृतक मुकेश की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे जो रिपोर्ट विवेचना प्राप्त हुई थी उसमें चालक का नाम नहीं लिखा था तथा साक्षीगण ने वाहन चालक का नाम नहीं बताया था।

15. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के किसी भी साक्षी ने घटना के समय अभियुक्त बबलू उर्फ बबन द्वारा आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 को चलाना नहीं बताया। यहाँ तक कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की थी, तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना, दिनांक, समय व स्थान पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 को लोक मार्ग मण्डवाड़ा नाग मंदिर के पास रोड़ पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मुकेश की मृत्यु ऐसी स्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त बबन उर्फ बबलू के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त बबन उर्फ बबलू को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0012 दिनांक 31.01.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी महेश पिता पूनम जायसवाल, निवासी अजंदी, थाना अंजड़ जिला बड़वानी को सुपुर्दगी पर दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी